कार्यालय, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्याल

चंदवारा, मुजफ्फरपुर पिन–842001

मणिराज पाण्डेय (बि०शि०से०)
प्रभारी प्राचार्य

Website :- www.ptecchandwara.co.in
E-mail :- ptecchandwara1934 @gmail.com

पत्रांक– 599 दिनांक:- 20.08.2026

कोटेशन संख्या:- 01/2026–2027

चालक एवं ईंधन सहित वाहन भाड़ा का दर निर्धारण हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, के द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक-ब०आ०-1459/8/2023-SEC_ 5-EDU DEPT (C.N.-344357) 10 पटना एवं दिनांक-30/04/2024, प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के उपयोगार्थ भाड़े की गाड़ी के सम्बन्ध में सम्यक दिशानिर्देश के आलोक में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चन्दवारा मुजफ्फरपुर , के अन्तर्गत प्रभारी प्राचार्य एवं संस्थान के अन्यान्य कार्य हेतु भाड़ा निर्धारण हेतु इच्छुक व्यक्तियों/संस्थानों/ट्रांसपोर्ट एजेंसियों से दिनांक-27.08.2026 को सायं 05:00 बजे अपराह्न तक सीलबंद लिफाफा में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) के अन्तर्गत किया जाना है। निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरान्त दिनांक-28.08.2026 को 03:00 बजे अपराह्न में प्रभारी प्राचार्य के कक्ष में संस्थान के आंतरिक क्रय समिति के सदस्यों के मध्य खोला जायेगा। प्राप्त कोटेशन/सीलबंद लिफाफे को खोलने के समय कोटेशन दाता द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि निश्चित रूप से भाग लेंगे।

कोटेशन की समान्य शर्ते :-

1. प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चन्दवारा मुजफ्फरपुर के प्रभारी प्राचार्य पद के लिए ईंधन सहित व्यवसायिक वाहन के लिए मासिक भाड़ा 1000 किलोमीटर तक के लिए 35,000/- (पैंतीस हजार रू०, बोलेरो एवं समकक्ष) मात्र होगी एवं यथा निर्धारित किलो मीटर से अधिक उपयोग करने पर 10 रू० प्रति किलोमीटर की दर से राशि संस्थान प्रशाखा से देय होगी।
2. व्यवसायिक वाहन का वाणिज्यिक निबंधन, जी०एस०टी० निबंधन तथा आयकर निबंधन होना चाहिए।
3. वाहन का बीमा, रोड टैक्स (फास्ट टैग रिचार्ज) फिटनेस, परमीट, प्रदूषण प्रमाण पत्र ड्राईविंग लाइसेंस आदि के लिए परिवहन निगम द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में अद्यतन होना चाहिए। वाणिज्यिक वाहन का रख रखाव, साफ-सफाई एवं अन्य मेन्टेनेन्स का दायित्व वाहन मालिक का होगा साथ ही गाड़ी चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति की जिम्मेवारी प्रभारी प्राचार्य की नहीं होगी।
4. विभाग द्वारा निर्धारित दर या जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर दोनों में से जो न्यूनतम होगा, अनुमान्य होगा।
5. वित्तीय एवं तकनीकी कोटेशन अलग-अलग लिफाफा में मुहरबंद होना चाहिए। पुनः दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा में सील बंद होना चाहिए।
6. वाहन चालक सहित होगा तथा चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।
7. वाहन का बीमा एवं पथकर अद्यतन होना चाहिए।
8. वाहन का वाणिज्यक निबंधन(commercial registration) होना आवश्यक है। कागजात संलग्न करना अनिवार्य है।
9. कोटेशनदाता को कम से कम 3 वर्ष तक केन्द्र / राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि के समान प्रकृति का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
10. कोटेशनदाता स्वयं कम से कम तीन वाणिज्यिक वाहन का स्वामित्व धारक होना चाहिए। स्वामित्व प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
11. वाहन की चोरी/दुर्घटना या अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी संबंधित संवेदक की होगी।
12. वाहन का रख-रखाव, साफ-सफाई, तौलिया, एवं अन्य मेन्टेनेंस संबंधित संवेदक की होगी। ईंधन की आपूर्ति आवश्यकतानुसार की संवेदक द्वारा ही की जायेगी।जो प्रति लीटर 10 कि०मी० से कम नहीं होगी। जिसकी गणना लॉग-बुक में अंकित दूरी एवं ईंधन का उल्लेख करना आवश्यक है।
13. वाहन का एकरारनामा एक वर्ष के लिए होगा। आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जा सकेगा। असंतोषतजनक सेवा होने की स्थिति में वाहन का अनुबंध बीच में भी रद्द किया जा सकता है।
14. वाहन भाड़ा मासिक भुगतेय होगा। जो वाहन में ईंधन, ड्राइवर मानदेय, वाहन मेंटिनेंस सहित होगा , एक महीने में 1000 कि०मी० सीमा से ऊपर चलने पर वाहन के ईधन हेतु व्यय संस्थान प्रशाखा से आवश्यकतानुसार होगा।
15. कोटेशन को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन वर्ष 2025 से पुराना नहीं हो साथ ही मेंटिनेंस स्वीकार योग्य हो।

Scanned with OKEN Scanner

17. संबंधित एजेन्सी/वाहन मालिकों द्वारा वाहन उपलब्ध कराने से पूर्व संबंधित वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र मोटर यान निरीक्षक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18. वाहन 24 घंटे संस्थान प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चन्दवारा मुजफ्फरपुर, प्रशासन के अधीन रहेगा तथा इसका उपयोग अन्यत्र नहीं किया जायेगा। आपूर्ति किये गये वाहन में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर तत्क्षण आपूर्तिकर्ता द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

19. जब भी जितनी संख्या में वाहन की माँग की जायेगी एजेन्सी/वाहन मालिकों को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अन्दर माँग के अनुरूप वाहन उपलब्ध कराना होगा।

20. सेवा में टूट होने पर उस दिन की समानुपातिक राशि के अलावे 500.00 (पाँच सौ) रू० प्रति दिन की दर से दण्ड राशि कटौती एजेन्सी/वाहन मालिकों के द्वारा दिये गये दावे से की जायेगी।

21. कोटेशन को http://www.ptecchandwara.co.in/ पर देखा जा सकता है।

निविदा की तकनीकी शर्ते :-

1. कोटेशनदाता को माल एवं सेवाकर अधिनियम-2017 (GST) के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। प्रमाण स्वरूप GST से संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. कोटेशन दाता को कोटेशन के साथ आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN (Permanent Account Number) की छायाप्रति तथा विगत एक आकलन वर्ष का आयकर विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. एजेन्सी को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित नोटरी (कोर्ट) से निर्गत शपथ पत्र जो कोटेशन प्रकाशन के बाद की तिथि का निर्गत हो जिसे मूल में देना अनिवार्य है।
4. पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (अधिकतम 06 माह के अन्दर का) संलग्न करना है।
5. कोटेशन में अंकित दर अंक एवं अक्षरों में सभी करों सहित विहित प्रपत्र में पठनीय, स्वच्छ टंकित प्रति करा कर देना होगा।

संस्थान द्वारा दरों का Negotiation भी किया जा सकेगा।

MRPdey 20/08/2026
(मणिराज पाण्डेय)
प्रभारी प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
चन्दवारा, मुजफ्फरपुर
20/8

ज्ञापांक– 599 चन्दवारा, मुजफ्फरपुर दिनांक– 20/08/2026
प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि– क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

MRPdey 20/08/2026
(मणिराज पाण्डेय)
प्रभारी प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
चन्दवारा, मुजफ्फरपुर
20/8

Scanned with OKEN Scanner